"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 फरवरी 2016 — माघ 16, शक 1937

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 25-11/2014/नौ/17-दो. — औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 50 के उप-नियम (3), नियम 69 के उप-नियम (1), नियम 85 बी के उप-नियम (1), नियम 90 के उप-नियम (1), नियम 122 एफ के उप-नियम (1), नियम 138 के उप-नियम (1) और नियम 150 बी के उप-नियम (1) के उपबंधों के अनुसरण में और पूर्व में इस निमित जारी की गई अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, श्री हिरेन मनु भाई पटेल, सहायक औषधि नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ को :-

1. उक्त नियम के भाग पांच के प्रयोजन के लिये नियंत्रण प्राधिकारी

2. उक्त नियम के भाग सात, सात-ए, आठ, दस-बी और चौदह के प्रयोजन के लिये अनुज्ञापन प्राधिकारी, तथा

3. उक्त नियम के भाग पंद्रह (ए) के प्रयोजन के लिये अनुमोदन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. के. वर्मा, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 25-11/2014/नौ/17-दो . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02-02-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. के. वर्मा, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 2nd February 2016

NOTIFICATION

No. F 25-11/2014/IX/17-II. — In Pursuance of the Provision of sub rule (3) of Rule 50, sub rule (1) of Rule 69, sub-rule (1), of Rule 85B, sub-rule (1) of Rule (90), sub-rule (1) of Rule 122F, sub-rule (1) of Rule 138 and sub-rule (1) of Rule 150B of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 and in supersession of all the Previous Notifications issued in this behalf, the State Government, hereby appoints Shri Hiren Manu Bhai Patel Assistant Drug Controller, Food & Drugs Administration, Chhattisgarh to also act as :-

1. Controlling Authority for the purpose of PART V of the said Rules.

2. Licensing Authority for the purpose of PART VII, VIIA, VIII, XB and XIV of the said Rules, and

3. Approving Authority for the purpose of PART XV (A) of the said Rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
T. K. VERMA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.